<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>2024/09/13</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ,लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002, के प्रावधानों के तहत 29.11 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में 25.99 करोड़ रुपये कीमत की आवासीय रियल एस्टेट परियोजना, 2.10करोड़ रुपये कीमत की ऑफिस स्पेस कमर्शियल संपत्ति और 1.01 करोड़ रुपये की कृषि भूमि शामिल है। इन संपत्तियों को हिमांशु कुमार और उनकी कंपनियों ने निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके खरीदा/विकसित किया और शाइन सिटी प्रमोटरों द्वारा स्तरित और विपथित किया गया। ईडी ने हिमांशु कुमार को 23 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया और रियल एस्टेट सेक्टर और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड स्कीम में जनता से धन एकत्र किया। ईडी की जांच ने फंड ट्रेल की पहचान की और पाया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को समूह के करीबी सहयोगियों को हस्तांतरित और विपथित किया गया था। हिमांशु कुमार ऐसे करीबी सहयोगियों में से एक है। इस तरह से विपथित किए गए फंड का इस्तेमाल हिमांशु कुमार ने जमीन, ऑफिस स्पेस खरीदने और आवासीय परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किया। नतीजतन, गरीब निवेशकों को कभी भी अपने निवेश या वादा किए गए जमीन पर रिटर्न नहीं मिला।

इससे पहले, ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, मुंबई और दिल्ली में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था और कई डिजिटल डिवाइस, धन शोधन के अपराध से संबंधित दस्तावेज और अपराध से अर्जित संपत्तियों का विवरण बरामद किया था।

ईडी ने 8 आरोपियों श्रीमती शशि बाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, आशिफ नसीम, अमिताभ श्रीवास्तव, श्रीमती मीरा श्रीवास्तव और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया था और हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। अब तक इस मामले में 04 अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की गई हैं और माननीय विशेष

न्यायालय ने 02 पीसी का संज्ञान लिया है। इस मामले में अब तक की गई कुल कुर्की की राशि 189 . 39 करोड़ रुपये (लगभग) है।